अनुक्रम

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृ.सं
	खंड – ए (सामान्य)	
ए.1	परिचय	4
ए.2	संविधिक आधार	5
ए.3	परिभाषाएँ	5
ए.4	निषेध	7
ए.5	सामान्य अनुमति	8
	खंड बी – भारत से बाहर प्रत्यक्ष निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)	
बी.1	स्वचालित मार्ग	10
बी.1.1	स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के माध्यम से निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)	14
बी.1.2	जेवी/डब्लूओएस की स्टेप डाउन सब्सिडियरी को किसी भारतीय पार्टी द्वारा निर्गत गारंटी	14
बी.2	स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेश में तेल-क्षत्र में अनिगमित/ निगमित संस्थाओं में निवेश	14
बी.3	स्वचालित मार्ग के अंतर्ग त सबमेरीन केबुल प्रणाली का निर्माण और अनुरक्षण	15
बी.4	निधीयन का तरीका	15
बी.5	निर्यातों और अन्य बकायों का पूँजीकरण	16
बी.6	वित्ती य सेवा-क्षेत्र में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)	16
बी.7	विदेश में पंजीकृत कंपनियों की इक्विटी में/श्रेणीकृत ऋण लिखतों में निवेश	18
बी.8	रिज़र्व बैंक का अनुमोदन	18
बी.9	ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश	19
बी.10	स्वामित्व प्रतिष्ठानों एवं पंजीकृत न्यास/ सोसाइटी द्वारा विदेश में निवेश	20
बी.11	वर्तमान जेवी/डब्लूओएस में निवेशोत्तर परिवर्तन/अतिरिक्त निवेश	21
बी.12	विदेशी प्रतिष्ठान के तुलनपत्र की पुनर्संरचना, जिसमें पूँजी और प्राप्य राशियों को बट्टे खाते लिखना शामिल हों =	22
बी.13	बोली लगाने या निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किसी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण	22
बी.14	भारतीय पार्टी की बाध्यताएँ	24
बी.15	जेवी/डब्लूओएस के शेयरों का विक्रय द्वारा अंतरण	24
बी.16	जेवी/डब्लूओएस के शेयरों का विक्रय द्वारा अंतरण, जिसमें निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को बट्टे खाते लिखना शामिल हो	25
बी.17	संयुक्त उपक्रम (जेवी), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्लूओएस) और स्टेप डाउन सब्सिडियरी (एसडीएस) के शेयरों को गिरवी रखना	25
बी.18	गारंटियों का पुनर्निर्धारण	26
बी.19	देशी और विदेशी आस्तियों पर ऋण-भार सृजित करना	26
बी.20	निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	27
बी.21	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग	27
बी.22	किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलना	27
	खंड सी – विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश	
सी.1	कतिपय मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों के क्रय/अभिग्रहण के लिए अनुमति	28
सी.2	भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति को गिरवी रखना	29
सी.3	कतिपय मामलों में सामान्य अनुमति	29
सी.4	किसी निवासी बैंक द्वारा स्विफ्ट के शेयरों का अभिग्रहण	30
सी.5	इंडियन डिपॉजिटरी रसीद का निर्गमन	30
सी.6	डेरिवेटव खंड में लेन-देनों के लिए एफआइआइ द्वारा संपार्श्विक रखना - समाशोधन निगमों और समाशोधन सदस्यों द्वारा डिमैट खाते खोलना	30
	प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालन अनुदेश	
01	नामित शाखाएँ	31
02	अधिसूचना सं.फेमा 120/2004-आरबी दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 6 के अंतर्गत निवेश	32
03	क्रियाविधि संबंधी सामान्य अनुदेश	33
04	अधिसूचना सं.फेमा 120/2004-आरबी दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 11 के अंतर्गत	33

	निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)	
05	विशिष्ट पहचान संख्या (युआइएन) का आवंटन	34
06	शेयर अदला-बदली के जरिए निवेश	34
07	अधिसूचना सं.फेमा 120/2004-आरबी दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 9 के अंतर्गत निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)	34
08	एडीआर/जीडीआर सहबद्ध स्टॉक ऑप्शन योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय	34
09	अग्र-धन जमा के लिए धन-प्रेषण या बोली बाण्ड गारंटी निर्गत करना	35
10	भारत से बाहर किसी जेवी/डब्लूओएस के शेयरों के विक्रय के जरिए अंतरण	35
11	निवेश के साक्ष्य का सत्यापन	35
12	किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलना	36-37
	परिशिष्ट	

मास्टर निदेश – निवासियों द्वारा विदेश में संयुक्त उपक्रम (जेवी)/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों(डब्लूओएस) में प्रत्यक्ष निवेश भाग –।

खंड ए – सामान्य

ए – 1 परिचय

(1) संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्लूओएस) में विदेशी निवेशों (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को भारतीय उद्यमियों द्वारा वैश्विक कारोबार का संवर्धन करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पहचाना गया है। संयुक्त उद्यमों को भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक एवं कारोबारी सहयोग के माध्यम के रूप में देखा जाता है । प्रौद्योगिकी एवं कौशल का अंतरण, आर एंड डी के परिणामों को साझा करने, व्यापक वैश्विक बाजार में पहुँच, ब्रांड छवि का संवर्धन, रोजगार सृजन तथा भारत और मेजबान देश में उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग को ऐसे विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) से होने वाले अन्य महत्वपूर्ण लाभों के रूप में माना जाता है । ये संयंत्र एवं मशीनों तथा माल एवं सेवाओं के भारत से बढ़ते निर्यात के माध्यम से विदेश व्यापार के महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व भी होते हैं और ये लाभांश अर्जन, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा ऐसे निवेशों (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के संबंध में अन्य हकदारी के जरिए भी विदेशी मुद्रा अर्जन के स्रोत होते हैं।

(2) उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए, जो सामान्यतः आर्थिक नीति का और विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियमों का प्रमाण-चिह्न बन चुकी है, रिज़र्व बैंक चालू खाता तथा पूँजीगत खाता लेन देनों, दोनों के लिए नियमों को उत्तरोत्तर शिथिल करता रहा है और क्रियाविधि को सरल बनाता रहा है।

ए.2 सांविधिक आधार

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 रिज़र्व बैंक को शक्तियाँ प्रदान करती है कि वह भारत सरकार के परामर्श से अनुमत पूँजीगत लेखा लेन देनों की श्रेणियों को और ऐसे लेन देनों के लिए जिस सीमा तक विदेशी मुद्रा अनुमान्य है, उसे विनिर्दिष्ट करे । उक्त अधिनियम की धारा 6(3) रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह इस उप धारा के उप खंडों में विनिर्दिष्ट विविध लेन देनों को विनियम बना कर निषिद्ध, प्रतिबंधित या विनियमित करे।

(2) अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000 और उसके परवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई 2004 द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2004 जारी किया है। यह अधिसूचना भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के अभिग्रहण और अंतरण को, अर्थात्, भारतीय प्रतिष्ठानों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को और भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर जारी किये गये शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश को भी विनियमित करती है । विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) दो मार्गों से किया जा सकता है, अर्थात्, (i) पैराग्राफ बी.1 में दिया गया स्वचालित मार्ग और (ii) पैराग्राफ बी.8 में दिया गया अनुमोदन मार्ग।

ए.3 परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(ए) "अधिनियम" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

(बी) "प्राधिकृत व्यापारी" का अर्थ है कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में अधिकृत किया गया हो;

(बी ए) "वैकल्पिक निवेश निधि" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 में यथा परिभाषित कोई निधि;

(सी) "अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर)" का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका (युएसए) में किसी बैंक या किसी डिपॉजिटरी द्वारा भारत में निगमित किसी कंपनी के अंतर्निहित रुपया शेयरों पर जारी की गयी प्रतिभूति;

(डी) "मुख्य कार्यकलाप" का अर्थ है किसी भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादित कार्यकलाप, जिसका पण्यावर्त इसके पिछले लेखा-वर्ष के कुल पण्यावर्त का कम से कम 50% हो;

(ई) "भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश" का अर्थ है किसी विदेशी प्रतिष्ठान की पूँजी में अंशदान या उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अभिदान के जरिए या विदेशी प्रतिष्ठान के विद्यमान शेयरों के क्रय के जरिए निवेश, चाहे वह बाजार क्रय के जरिए हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हो, लेकिन इसमें संविभाग निवेश शामिल नहीं है;

[1]नोट: किसी प्रायोजक भारतीय पार्टी (IP) द्वारा भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) सहित समुद्रपारीय देशों में मेज़बान देश के कानूनों के अनुसार सृजित किसी वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) में किए जाने वाले प्रायोजक अंशदान को समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ODI) माना जाएगा।

[(*ईए*) "डोमेस्टिक डिपॉजिटरी" का अर्थ वही होगा, जो इसे कंपनी (इंडियन डिपॉजिटरी रसीद का निर्गम) नियमावली, 2004 में दिया गया है;

(*ईबी*) "पात्र कंपनी" का अर्थ है कोई कंपनी, जो कंपनी (इंडियन डिपॉजिटरी रसीद का निर्गम) नियमावली, 2004 के नियम 4 के अंतर्गत इंडियन डिपॉजिटरी रसीद निर्गमित करने की पात्र हो ;]

(एफ) "वित्तीय प्रतिबद्धता" का अर्थ है उस प्रत्यक्ष निवेश की राशि, जो इक्विटी, ऋण में अंशदान के जरिए हो और गारंटी की राशि का 100 प्रतिशत एवं किसी भारतीय पार्टी द्वारा इसकी विदेश स्थित संयुक्त उपक्रम कंपनी या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को या उनकी ओर से जारी की गयी निष्पादन गारंटियों का 50 प्रतिशत हो;

(जी) "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी)" का अर्थ है, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किया गया बांड, जो विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त हो और जिसका मूलधन और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो;

(एच) "ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)" का अर्थ है कोई प्रतिभूति, जो भारत के बाहर किसी बैंक या डिपॉजिटरी द्वारा भारत में निगमित किसी कंपनी के अंतर्निहित रुपया शेयरों पर जारी किया गया हो;

(आई) "मेजबान देश" का अर्थ है वह देश, जिसमें किसी भारतीय पार्टी से प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाला विदेशी प्रतिष्ठान पंजीकृत या निगमित हो;

(जे) "भारतीय निक्षेपागार रसीद" का वही अर्थ होगा, जो उसे कंपनी (इंडिय़न डिपॉजिटरी रसीद का निर्गम) नियम, 2004 में दिया गया है ;

(के) "भारतीय पार्टी" का अर्थ है भारत में निगमित कोई कंपनी या संसद के अधिनियम द्वारा सृजित कोई निकाय या भागीदारी फर्म, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत हो या कोई लिमिटेड लाइएबिलीटी पार्टनरशिप (एलएलपी), जो लिमिटेड लाइएबिलीटी पार्टनरशिप ऐक्ट, 2008 (2009 का 6) के अंतर्गत पंजीकृत हो और जो विदेश में किसी संयुक्त उपक्रम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था में निवेश कर रही हो और इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित भारत का कोई अन्य प्रतिष्ठान शामिल है;

परंतु, जब एक से अधिक ऐसी कंपनी, निकाय या प्रतिष्ठान किसी विदेशी प्रतिष्ठान में निवेश करे, तब ऐसी सभी कंपनियों या निकायों या प्रतिष्ठानों को " भारतीय पार्टी " माना जायेगा;

[1] दिनांक 12 मई 2021 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 04 के द्वारा इसे जोड़ा गया है।

(एल) "निवेश बैंकर" का अर्थ है कोई निवेश बैंकर, जो युएसए में सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में या युके में फाइनैंशियल सर्विसेज अथॉरिटी या जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर या जापान में युक्तियुक्त विनियामक प्राधिकार में पंजीकृत हो;

(एम) "संयुक्त उपक्रम (जेवी)" का अर्थ है कोई विदेशी प्रतिष्ठान, जो मेजबान देश में, जहाँ कोई भारतीय पार्टी प्रत्यक्ष निवेश करती है, नियमों एवं विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत या निगमित हो;

(एन) "म्युचुअल फंड" का अर्थ है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23डी) में निर्दिष्ट कोई म्युचुअल फंड;

(ओ) "निवल मालियत (नेट वर्थ)" का अर्थ है चुकता पूँजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ;

(पी) "स्थावर संपदा कारोबार" का अर्थ है जमीन-जायदाद की खरीद-बिक्री या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) में व्यापार करना, लेकिन इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/व्यावसायिक परिसरों, सड़कों या पुलों का विकास शामिल नहीं है;

(क्यू) "पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्लूओएस)" का अर्थ है कोई विदेशी प्रतिष्ठान, जो मेजबान देश के नियमों एवं विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत या निगमित हो और जिसकी समस्त पूँजी भारतीय पार्टी द्वारा धारित हो;

(*क्यूए*) "जोखिम पूँजी निधि" का अर्थ है ऐसी निधि, जिसकी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधि) विनियम, 1996 में दी गयी है;

(*क्यूबी*) "न्यास" का अर्थ है भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत कोई न्यास;

(*क्यूसी*) "सोसाइटी" का अर्थ है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी;

(आर) "कृषि कार्य" का अर्थ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में यथापरिभाषित कृषि कार्य;

(एस) "विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड" का अर्थ है कोई बांड, जो विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त हो, जिससे संबंधित मूलधन और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो और जो किसी जारीकर्ता कंपनी द्वारा जारी किया गया हो और जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत से बाहर निवास करता हो, विदेशी मुद्रा मे अभिदान, जो ऑफर्ड कंपनी के इक्विटी शेयर में विनिमेय हो, किसी प्रकार से किया गया हो, चाहे वह पूर्णतः या अंशतः या इक्विटी संबद्ध बांडों के आधार पर किया गया हो, जो ऋण लिखतों से संबद्ध है;

(टी) "जारीकर्ता कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, जो इन विनियमों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड जारी करने की पात्र हो;

(यू) "ऑफर्ड कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, जिसका/जिसके इक्विटी शेयर विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड के विनिमय में दिया जा रहा हो/दिये जा रहे हों;

(वी) "प्रवर्तक समूह" का अर्थ वही है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 में परिभाषित है;

(डब्ल्यू) इन विनियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः वही होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।

ए.4. निषेध / प्रतिबंध

(क) भारतीय पार्टियाँ रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे विदेशी प्रतिष्ठान में, जो स्थावर संपदा के काम में लगा है (अर्थात्, जमीन-जायदाद की खरीद-बिक्री या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स

(टीडीआर) का व्यवसाय, लेकिन इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/व्यावसायिक परिसरों, सड़कों या पुलों का निर्माण शामिल नहीं है) या बैंकिंग कारोबार में, निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) नहीं करेंगी।

(ख) कोई विदेशी प्रतिष्ठान, जिसमें किसी भारतीय पार्टी की प्रत्यक्ष या परोक्ष इक्विटी सहभागिता हो, भारतीय रुपयों से सहबद्ध वित्तीय उत्पाद (यथा, अपरिदेय व्यापार, जिसमें विदेशी मुद्रा, रुपया विनिमय दरें, शेयर सूचकांक, जो भारतीय बाजार से सहबद्ध हों, आदि, शामिल हैं) रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना नहीं देगा । इस प्रकार की उत्पाद सुविधा देने की किसी घटना को वर्तमान फेमा विनियमों का उल्लंघन माना जायेगा और फलतः उस पर फेमा, 1999 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

ए. 5 सामान्य अनुमति

भारत में निवासी व्यक्तियों को निम्नलिखित रीति से प्रतिभूतियों का क्रय/अभिग्रहण करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है:

(क) आरएफसी खाते में धारित निधियों से;

(ख) विदेशी मुद्रा शेयरों के विद्यमान धारण पर बोनस शेयर के रूप में; और

(ग) जब भारत में स्थायी रूप से नहीं रहें, तब भारत के बाहर उनके विदेशी मुद्रा संसाधनों से।

इस प्रकार खरीदे या अभिग्रहण किये गये शेयरों को बेचने के लिए भी सामान्य अनुमति उपलब्ध है।

खंड बी – भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)

बी.1 स्वचालित मार्ग

(1) समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 6 के अनुसार किसी भारतीय पार्टी को विदेशी संयुक्त उद्यमों (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्लूओएस) में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) उस सीमा तक करने की अनुमति दी गयी है, जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है ।

दिनांक 3 जुलाई 2014 से यह निर्णय लिया गया है कि कोई वित्तीय प्रतिबद्धता (एफसी), जो किसी वित्तीय वर्ष में 1 (एक) बिलियन अमरीकी डालर (या इसके बराबर) से अधिक हो, करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, यदि भारतीय पार्टी की कुल एफसी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत पात्र सीमा के भीतर (अर्थात्, पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल मालियत के 400% के भीतर) हो, तब भी ।

(2) विदेशी संयुक्त उद्यमों (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्लूओएस) में निवेश/वित्तीय प्रतिबद्धता करने हेतु धन-प्रेषण करने के लिए भारतीय पार्टी को फार्म ओडीआइ (रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश) में एक आवेदन और निर्धारित संलग्नक/दस्तावेज किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के पास देना चाहिए ।

(3) समस्त संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी की कुल प्रतिबद्धता में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :

क. इक्विटी शेयरों और/या अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (सीसीपीएस) की राशि का 100%;

ख. अन्य अधिमानी शेयरों का 100%;

ग. ऋण की राशि का 100%;

घ. भारतीय पार्टी द्वारा जारी की गयी गारंटी (निष्पादन गारंटी से भिन्न) की राशि का 100%;

ङ. भारतीय पार्टी के जेवी या डब्लूओएस की ओर से किसी निवासी बैंक द्वारा जारी की गयी गारंटी की राशि का 100 %, बशर्ते बैंक गारंटी का समर्थन भारतीय पार्टी की प्रति गारंटी/संपार्श्विक द्वारा किया जाये।

च. भारतीय पार्टी द्वारा जारी की गयी निष्पादन गारंटी का 50 %, परन्तु यदि निष्पादन गारंटी को लागू किये जाने के कारण पूँजी का बहिर्वाह प्रवृत्त वित्तीय प्रतिबद्धता को भंग करे, तो वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए निर्धारित सीमा से अधिक धन-प्रेषण करने के पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) निवेश/ वित्तीय प्रतिबद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

क) भारतीय पार्टी/प्रतिष्ठान केवल उस विदेशी जेवी/डब्लूओएस को ऋण/गारंटी दे सकता है, जिसमें उसकी इक्विटी सहभागिता हो । जेवी/डब्लूओएस में बिना इक्विटी अंशदान के वित्तीय प्रतिबद्धता करने के लिए भारतीय पार्टी से प्राप्त प्रस्ताव पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जा सकता है । एडी बैंक अपने घटकों से प्राप्त प्रस्तावों को यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेजबान देश के कानून भारतीय पार्टी द्वारा इक्विटी सहभागिता के बिना किसी कंपनी के निगमन को अनुमति देते हैं, प्रस्तावों को अग्रसारित कर सकते हैं।

भारतीय प्रतिष्ठान किसी प्रकार की गारंटी – कारपोरेट या वैयक्तिक (जिसमें भारतीय पार्टी के अलग अप्रत्यक्ष निवासी प्रवर्तकों द्वारा दी गयी वैयक्तिक गारंटी शामिल है)/प्राथमिक या संपार्श्विक/प्रवर्तक कंपनी द्वारा गारंटी/समूह कंपनी, सहयोगी संस्था या भारत में एसोशिएट कंपनी द्वारा गारंटी दे सकते हैं, बशर्ते कि :

i) सभी प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ, जिसमें सभी प्रकार की गारंटियाँ और प्रभार सृजन शामिल है, भारतीय पार्टी के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर हों।

ii) कोई भी गारंटी असीमित अवधि वाली नहीं होनी चाहिए, अर्थात्, गारंटी की अवधि प्रारंभ में ही विनिर्दिष्ट की जाये । निष्पादन गारंटी के मामले में संविदा को पूरा किये जाने के लिए विनिर्दिष्ट समय संबंधित निष्पादन गारंटी की वैधता-अवधि होगा।

iii) उन मामलों में, जहाँ निष्पादन गारंटी को लागू किये जाने से वित्तीय प्रतिबद्धता की उच्चतम सीमा का भंग होता हो, वहाँ भारतीय पार्टी गारंटी को लागू किये जाने के चलते भारत से निधियाँ बाहर भेजने के पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

iv) अधिसूचना सं.फेमा 8/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 के विनियम 5(बी) के अनुसार भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी भी विदेश में अपने कारोबार के संबंध में किसी संयुक्त उपक्रम कंपनी को या भारत में किसी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था को बैंक गारंटी दे सकता है/एसबीएलसी जारी कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी कंपनी या सहायक संस्था का संवर्धन करने या उसे गठित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण और निर्गम) विनियम, 2000 में अनुबद्ध शर्तों का अनुपालन किया जाता रहे ;

v) जैसाकि कारपोरेट गारंटियों के मामले में होता है, सभी गारंटियों (जिनमें निष्पादन गारंटियाँ और बैंक गारंटियाँ/एसबीएलसी शामिल हैं) की रिपोर्ट फार्म ओडीआई भाग-।। में की जानी है। भारत में बैंकों द्वारा भारत के बाहर डब्लूओएस/जेवी के पक्ष में जारी की गयी गारंटियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगी।

ख) भारतीय पार्टी को निर्यातकों की सतर्कता सूची/रिज़र्व बैंक/ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. (सिबिल)/या रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य ऋण सूचना कंपनी द्वारा बैंकिंग प्रणाली में परिचालित चूककर्ता-सूची में नहीं होना चाहिए अथवा उसे किसी जाँच/प्रवर्तन एजेंसी या विनियामक निकाय की जाँच के दायरे में नहीं होना चाहिए ।

ग) किसी जेवी/डब्लूओएस से संबंधित सभी लेन देन भारतीय पार्टी द्वारा नामित किये जाने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक की एक शाखा के माध्यम से किये जाने चाहिए।

घ) किसी विद्यमान विदेशी कंपनी के आंशिक/पूर्ण अभिग्रहण के मामले में, जहाँ निवेश युएसडी 5 मिलियन से अधिक हो, कंपनी के शेयरों का मूल्य-निर्धारण सेबी में पंजीकृत किसी श्रेणी-। व्यापारी बैंक द्वारा या भारत के बाहर किसी निवेश बैंक/व्यापारी बैंक द्वारा, जो भारत के बाहर मेजबान देश के युक्तियुक्त विनियामक प्राधिकार में पंजीकृत हो, किया जायेगा ; और अन्य सभी मामलों में किसी सनदी लेखाकार या प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा किया जायेगा।

ङ) शेयरों की अदला-बदली के जरिए निवेश के मामले में, चाहे राशि कितनी भी हो, शेयरों का मूल्य-निर्धारण सेबी में पंजीकृत श्रेणी-। व्यापारी बैंक द्वारा या भारत के बाहर किसी निवेश बैंक द्वारा, जो मेजबान देश में युक्तियुक्त प्राधिकार में पंजीकृत हो, किया जायेगा। भारतीय कंपनी भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखतें) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के तहत स्वचालित मार्ग के तहत पूंजीगत लिखतें जारी कर सकती है यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी उस क्षेत्र से संबन्धित गतिविधियां संचालित करती है, जिसे स्वचालित मार्ग के तहत वर्गीकृत किया गया है, और उसे ऐसे मामलों में सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, यदि वह उन गतिविधियों को संचालित करती है जिन्हें उक्त नियमावली के तहत सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत वर्गीकृत किया गया है।

च) किसी पंजीकृत भागीदारी फर्म द्वारा विदेश में विदेशी जेवी/डब्लूओएस में निवेश के मामले में, जहाँ ऐसे निवेश के लिए समस्त निधीयन उस फर्म द्वारा किया जाता हो, वहाँ अलग-अलग भागीदारों के लिए यह ठीक होगा कि वे फर्म के लिए और उसकी ओर से विदेशी जेवी/डब्लूओएस में शेयर धारण करें, यदि मेजबान देश के विनियम या परिचालनगत अपेक्षाएँ ऐसे धारणों को प्राधिकृत करें ।

छ) कोई भारतीय पार्टी वास्तविक व्यावसायिक कार्यकलाप में लगी किसी विदेशी कंपनी के शेयरों का अभिग्रहण उस कंपनी को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और साधारण शेयरों को (डपॉजिटरी रसीद तंत्र के माध्यम से) जारी किये जाने की योजना, 1993 और उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गत एडीआर/जीडीआर के विनिमय में, कर सकती है, बशर्ते कि:

(i) एडीआर/जीडीआर भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों;

(ii) एडीआर और/या जीडीआर, जो अभिग्रहण के प्रयोजनार्थ जारी किया जाता है, वह भारतीय पार्टी द्वारा जारी अंतर्निहित नये इक्विटी शेयरों से समर्थित होता है;

(iii) भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय प्रतिष्ठान में विस्तारित पूँजी आधार में कुल धारण, नये एडीआर और/या जीडीआर जारी किये जाने के बाद, एफडीआइ के अंतर्गत ऐसे निवेश के लिए प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होता है;

(iv) विदेशी कंपनी के शेयरों का मूल्य-निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा

क निवेश बैंक की सिफारिशों के अनुसार, यदि शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हों; अथवा

ख विदेशी कंपनी के वर्तमान बाजार पूँजीकरण के आधार पर, जो विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज में अभिग्रहण के माह के पूर्ववर्ती तीन माह की औसत कीमत के आधार पर प्राप्त हो और इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रीमियम,

यदि हो, के आधार पर, जैसाकि निवेश बैंकर द्वारा अपनी समुचित सावधानी रिपोर्ट में अनुशंसा की जाये।

[2](5) नेपाल में निवेश/ वित्तीय प्रतिबद्धता केवल भारतीय रुपयों में करने की अनुमति है। भूटान में निवेश/ वित्तीय प्रतिबद्धता भारतीय रुपये और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में करने की अनुमति है। मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किये गये निवेशों (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) के संबंध में सभी प्राप्य राशियाँ और उनके विक्रय/ समापन से प्राप्त राशि केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भारत में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

[3](6) भारतीय पार्टी को ऐसी समुद्रपारीय संस्थाओं के साथ निवेश अथवा वित्तीय प्रतिबद्धताएं स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी, जो उन देशों/ प्रदेशों में अवस्थित हैं, जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा "असहयोगी देश एवं अधिकार क्षेत्र" की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी सूची वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की वेबसाइट www.fatf-gafi.org उपलब्ध है अथवा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। भारतीय पार्टी द्वारा पाकिस्तान में निवेश / या वित्तीय प्रतिबद्धता अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत करने की अनुमति है।

बी.1.1 स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के माध्यम से निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)

भारतीय पार्टियों द्वारा विदेश में जेवी/डब्लूओएस में विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के माध्यम से निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) स्वचालित मार्ग से करने की अनुमति भी पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार दी गयी है, जिसमें यह शर्त शामिल है कि भारतीय पार्टी को रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में नहीं उल्लिखित किया गया हो अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसकी जाँच नहीं की जा रही हो अथवा रिज़र्व बैंक/रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य ऋण सूचना कंपनी दवारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के प्रति चूककर्ताओं की सूची में उसे शामिल नहीं किया गया हो । जिन भारतीय पार्टियों के नाम चूककर्ताओं की सूची में उल्लिखित हों, उन्हें निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

बी.1.2 किसी भारतीय पार्टी द्वारा जेवी/डब्लूओएस की स्टेप डाउन सब्सिडियरी को गारंटी जारी किया जाना

(क) भारतीय पार्टी को उनके जेवी/डब्लूओएस द्वारा, जो या तो परिचालनगत इकाई के रूप में या स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के रूप में परिचालन कर रहे हों, गठित फर्स्ट लेवल स्टेप डाउन जेवी/डब्लूओएस की ओर से कारपोरेट गारंटी जारी करने की अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबद्धता वर्तमान सीमा के भीतर हो। ऐसी गारंटियों की रिपोर्ट अब तक की तरह संबंधित नामित एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से फार्म ओडीआइ में रिज़र्व बैंक को की जानी होगी।

(ख) इसके अतिरिक्त, दूसरी पीढ़ी या परवर्ती स्तर वाली स्टेप डाउन ऑपरेटिंग सब्सिडियरीज की ओर से कारपोरेट गारंटी के निर्गमन पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जायेगा, बशर्ते कि भारतीय पार्टी

---

[2] दिनांक 25 जनवरी 2017 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 के माध्यम से इसे हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "नेपाल में निवेश/ वित्तीय प्रतिबद्धता केवल भारतीय रुपयों में करने की अनुमति है । भूटान में निवेश/वित्तीय प्रतिबद्धता भारतीय रुपये और निर्बाध रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में करने की अनुमति है निर्बाध रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किये गये निवेशों (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के संबंध में सभी प्राप्य राशियाँ और उनके विक्रय/समापन से प्राप्त राशि केवल निर्बाध रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भारत में प्रत्यावर्तित की जानी है।" पढ़ा जाता था।

[3] दिनांक 25 जनवरी 2017 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 के माध्यम से इसे हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे "भारतीय पार्टी द्वारा पाकिस्तान में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत करने की अनुमति है।" पिछले संस्कारण में यह अनुदेश भर बी.1(5) का हिस्सा था।

उस विदेशी सब्सिडियरी में, जिसके लिए ऐसी गारंटी जारी किये जाने का आशय हो, अप्रत्यक्ष रूप से 51 प्रतिशत या अधिक का हित धारण करती हो।

बी.2 तेल क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी अनिगमित/निगमित प्रतिष्ठानों में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)

(1) नवरत्न पीएसयु, ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) और ऑयल इंडिया लि. (ओआइएल) द्वारा तेल क्षेत्र में विदेशी अनिगमित/निगमित प्रतिष्ठानों में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) (अर्थात्, तेल एवं प्राकृतिक गैस, आदि, की खोज एवं ड्रिलिंग के लिए) की अनुमति एडी श्रेणी-। बैंकों द्वारा, बिना किसी सीमा के, दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे निवेश का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।

(2) अन्य भारतीय कंपनियों को भी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत तेल क्षेत्र में विदेशी अनिगमित प्रतिष्ठानों में निर्धारित सीमा तक निवेश करने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाये और इस प्रकार के निवेश का अनुमोदन करने वाले बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति द्वारा उसका विधिवत समर्थन किया जाये । निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

बी.3 स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सबमेरीन केबुल सिस्टम्स का निर्माण और अनुरक्षण

(1) भारतीय पार्टियों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सह-स्वामित्व के आधार पर सबमेरीन केबुल सिस्टम्स का निर्माण और अनुरक्षण करने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय परिचालकों के साथ कन्सॉर्टियम में सहभागिता करने की भी अनुमति दी जाती है । तदनुसार, एडी श्रेणी-। बैंक यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि भारतीय कंपनी ने दूर संचार विभाग, दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, से इंटरनैशनल लाँग डिस्टैन्स सर्विसेज को स्थापित, संस्थित, परिचालित और अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और कंपनी के बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भी प्राप्त करते हुए, जिसमें ऐसे निवेश को अनुमोदित किया गया हो, उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

(2) तदनुसार, कन्सॉर्टियम में निवेश करने वाली भारतीय पार्टियों द्वारा इन लेन-देनों की रिपोर्ट फार्म ओडीआइ में एडी श्रेणी-। बैंक को की जाये, ताकि विशिष्ट पहचान संख्या के आवंटन के लिए उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट एडी श्रेणी-। बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को की जा सके।

बी.4 निधीयन का तरीका

(1) किसी विदेशी जेवी/डब्लूओस में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) का निधीयन निम्नलिखित एक या अधिक स्रोतों से किया जा सकता है :

i) भारत में किसी एडी बैंक से विदेशी मुद्रा का आहरण ;

ii) निर्यातों का पूँजीकरण ;

iii) शेयरों की अदला-बदली (मूल्य-निर्धारण वैसे ही होगा, जैसाकि ऊपर पैरा बी.1 (ङ) में उल्लिखित है) ;

iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) से प्राप्त राशि ;

v) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और साधारण शेयरों को (डिपॉजिटरी रसीद तंत्र के माध्यम से) जारी किये जाने की योजना, 1993 और उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गत एडीआर/जीडीआर के विनिमय में ;

vi) भारतीय पार्टी के इइएफसी खाता में धारित जमाराशि, और

vii) एडीआर/जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटायी गयी विदेशी मुद्रा निधियों की आय ।

उपर्युक्त (vi) और (vii) के संबंध में, निवल मालियत की तुलना में वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, वित्तीय क्षेत्र में किये गये सभी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम-7 के अनुपालन के अधीन होंगे, भले ही निधीयन का तरीका कोई भी हो।

(2) भारत में निवासी व्यक्तियों को निम्नलिखित ढंग से प्रतिभूतियों का क्रय/अभिग्रहण करने की अनुमति दी गयी है :

(i) आरएफसी खाते में धारित निधियों से ;

(ii) विदेशा मुद्रा शेयरों के विद्यमान धारणों पर बोनस शेयर के रूप में ; और

(iii) जब स्थायी रूप से भारत के निवासी न हों, तब उनके भारत के बाहर विदेशी मुद्रा संसाधनों से (ऊपर पैरा ए.4)

बी.5 निर्यातों और अन्य प्राप्य राशियों का पूँजीकरण

(1) भारतीय पार्टी को अनुमति है कि वह विदेशी प्रतिष्ठान को तकनीकी जानकारी देने, परामर्शी, प्रबंधकीय एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए निर्यात, फीस, रॉयल्टी या किन्हीं अन्य प्राप्य राशियों के रूप में विदेशी प्रतिष्ठान से प्राप्त होने वाले भुगतानों को प्रयोज्य सीमा के भीतर पूँजीकृत करे । वैसी निर्यात आय, जिसकी वसूली निर्धारित अवधि के बाद भी नहीं हुई हो, के पूँजीकरण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकर्ताओं को, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी को किये गये अपने निर्यातों के मूल्य का 25 प्रतिशत, बिना संयुक्त उपक्रम करार किये, प्राप्त करने की अनुमति है।

बी.6 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धताः)

(1) किसी भारतीय पार्टी को, जो वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो, भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठान में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी चाहिए:

(i) उसे वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप करने के लिए भारत में विनियामक प्राधिकार में पंजीकृत होना चाहिए;

(ii) उसने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलापों से शुद्ध लाभ अर्जित किया हो;

(iii) उसने भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से इस प्रकार के वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया हो; और

(iv) उसने भारत में संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा किया हो।

(2) किसी विद्यमान जेवी/डब्लूओएस या इसकी स्टेप डाउन सब्सिडियरी द्वारा वित्तीय सेवा क्षेत्र में कोई अतिरिक्त निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने के लिए भी उक्त शर्तों को पूरा करना होगा।

(3) वित्तीय क्षेत्र में विनियमित प्रतिष्ठानों को, जो विदेश में किसी कार्यकलाप में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करते हों, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा । भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में अविनियमित प्रतिष्ठान गैर-वित्तीय क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश उक्त अधिसूचना के विनियम 6 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कर सकते हैं । विदेश में कमोडिटीज एक्सचेंजों में व्यापार करने और विदेशी एक्सचेंजों में व्यापार के लिए जेवी/डब्लूओएस का गठन करने को वित्तीय सेवा कार्यकलाप के रूप में गिना जायेगा और इसके लिए सेबी की मंजूरी अपेक्षित होगी।

बी.7 विदेश में पंजीकृत कंपनियों की इक्विटी/श्रेणीकृत ऋण लिखतों में निवेश

(1) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सविभाग निवेश

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को अनुमति है कि वे पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तिथि को अपनी निवल मालियत का 50 प्रतिशत तक निवेश सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों द्वारा निर्गत (i) शेयरों और (ii) बांडों/नियत आय वाली प्रतिभूतियों में कर सकते हैं, जिनका श्रेणी-निर्धारण प्रामाणिक/पंजीकृत ऋण-पात्रता निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से नीचे नहीं किया गया हो।

(2) म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश

सेबी में पंजीकृत भारतीय म्युचुअल फंडों को अनुमति दी गयी है कि वे निम्नलिखित में 7 बिलियन युएसडी की समग्र सीमा के भीतर निवेश कर सकते हैं:

i) भारतीय और विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर;

ii) विदेश में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की इक्विटी;

iii) विदेश में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए प्रारंभिक और फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग;

iv) पूर्ण परिवर्तनीय मुद्रा वाले देश में विदेशी ऋण प्रतिभूतियाँ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण लिखतें. जिनका श्रेणी-निर्धारण प्रामाणिक/पंजीकृत ऋण पात्रता-निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से नीचे नहीं किया गया हो;

v) मुद्रा बाजार लिखतें, जिनका श्रेणी-निर्धारण निवेश ग्रेड से नीचे नहीं किया गया हो;

vi) निवेश के रूप में रेपो, जहाँ काउंटर-पार्टी को निवेश ग्रेड से नीचे निर्धारित नहीं किया गया हो । तथापि, रेपो में म्युचुअल फंडों द्वारा निधियाँ उधार लेना शामिल नहीं होना चाहिए;

vii) सरकारी प्रतिभूतियाँ, जहाँ देशों का श्रेणी-निर्धारण निवेश ग्रेड से नीचे नहीं किया गया हो;

viii) विदेश में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापारित डेरिवेटिव, जो केवल हेजिंग संविभाग संतुलन के लिए प्रतिभूतियों के रूप में अंतर्निहित हों;

ix) विदेशी बैंकों में अल्पावधि जमाराशियाँ, जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी-निर्धारण निवेश ग्रेड से नीचे नहीं किया गया़ हो;

x) विदेशी म्युचुअल फंडों या विदेशी विनियामकों के पास पंजीकृत युनिट ट्रस्टों द्वारा, जो (क) पूर्वोक्त प्रतिभूतियों, (ख) विदेश में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों (आरइआइटीएस) में, या (ग) असूचीगत विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करते हों (उनकी निवल आस्तियों का अधिक से अधिक 10 प्रतिशत), जारी की गयी युनिटें/प्रतिभूतियाँ।

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों और म्युचुअल फंडों द्वारा ऊपर पैरा (1) और (2) के अनुसार किये गये निवेशों की ऑनलाइन रिपोर्ट मासिक आधार पर एडी बैंकों द्वारा उस फार्मैट में किया जाना है, जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

(3) एक सीमित संख्या में अर्हताप्राप्त भारतीय म्युचुअल फंडों को संचयी रूप से 1 बिलियन युएसडी तक निवेश ओवरसीज एक्सचेंड ट्रेडेड निधियों में करने की अनुमति है, जैसाकि सेबी द्वारा अनुमति दी जाये।

(4) डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड/वैकल्पिक निवेश फंड, जो सेबी में पंजीकृत हों,[4]1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र सीमा के अधीन अपतटीय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की इक्विटी और इक्विटी सहबद्ध लिखतों में निवेश कर सकते हैं।

तदनुसार, म्युचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड/वैकल्पिक निवेश फंड, जो इस सुविधा का उपभोग करने के इच्छुक हों, आवश्यक अनुमति के लिए सेबी के पास जा सकते हैं।

4 सेबी द्वारा जारी दिनांक 21 मई 2021 के परिपत्र सं.सेबी/एचओ/आईएमडी/डीएफ़6/परिपत्र/पी/2021/565 द्वारा जोड़ा गया है।

(5) उपर्युक्त श्रेणी के निवेशकों को इस प्रकार अभिग्रहीत प्रतिभूतियाँ बेचने के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध है।

(6) वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)/ वैकल्पिक निवेश फंड (एआइएफ) द्वारा किये गये निवेश की रिपोर्ट ऑनलाइन आवेदन में की जाये।[5]

बी.8 रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

(1) विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने के अन्य सभी मामलों में रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके प्रयोजनार्थ, आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन फार्म ओडीआइ में उनके प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) रिज़र्व बैंक, ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा:

क भारत के बाहर जेवी/डब्लूओएस की प्रथमदृष्ट्या सक्षमता;

ख बाह्य व्यापार में अंशदान और अन्य लाभ, जो ऐसे निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) से भारत को उपचित होंगे;

ग भारतीय पार्टी और विदेशी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड; और

घ भारतीय पार्टी की इस प्रकार के या संबंधित व्यावसायिक कार्यकलाप में, भारत के बाहर जेवी/डब्लूओएस की भाँति, विशेषज्ञता और अनुभव।

बी.9 ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश

रिज़र्व बैंक ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों (यथा, तेल, गैस, कोयला और खनिज अयस्क) में वित्तीय प्रतिबद्धता की निर्धारित सीमा से अधिक निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) विदेशी जेवी/डब्लूओएस में किये जाने के लिए आवेदनों पर विचार करेगा । एडी श्रेणी-। बैंक अपने घटकों से प्राप्त ऐसे आवेदनों को अधिकथित क्रियाविधि के अनुसार रिज़र्व बैंक को भेज सकते हैं।

बी.10 स्वामित्व प्रतिष्ठानों और पंजीकृत न्यास/सोसाइटी द्वारा विदेश में निवेश

(1) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की समय-समय पर जारी की गयी विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यातकों की परिभाषा/वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए भारत में किसी स्वामित्व प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के प्रस्तावों पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किये जाने के लिए निम्नलिखित संशोधित शर्तों को पूरा किया जाना होगा:

क भारत में स्वामित्व प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी विदेश व्यापार नीति के अनुसार ' स्टैटस होल्डर ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

ख भारत में स्वामित्व प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म का प्रमाणित पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड हो, अर्थात्, निर्यात बकाया पूर्ववर्ती तीन वर्षों में निर्यात वसूली के 10 % अधिक न हो और उसका निरंतर उच्च निर्यात निष्पादन रहा हो;

ग प्राधिकृत व्यापारी बैंक संतुष्ट हो कि भारत में स्वामित्व प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म केवाइसी (अपने ग्राहक को जानिये) कंप्लायंट है, यह प्रस्तावित कारोबार कर रही है और इसका पण्यावर्त वही है, जिसका उल्लेख किया गया है;

---

5 इसे ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.62 दिनांक 13 अप्रैल 2016 द्वारा जोड़ा गया है।

घ भारत में स्वामित्व प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म के विरुद्ध भारत सरकार की किसी एजेंसी, यथा, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आयकर विभाग, आदि, की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हुई है और वह रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कती सूची में या भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति चूककर्ताओं की सूची में उल्लिखित नहीं है; और

ङ भारत के बाहर प्रस्तावित निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) की राशि पिछले तीन वर्षों की औसत निर्यात वसूली का अधिक से अधिक 10 प्रतिशत या स्वामित्व प्रतिष्ठान/अपंजीकृत भागीदारी फर्म की शुद्ध स्वाधिकृत निधि का 200 प्रतिशत है, जो भी कम हो।

(2) पंजीकृत न्यास और सोसाइटी, जो विनिर्माण/शिक्षा/अस्पताल क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें उसी क्षेत्र में भारत के बाहर किसी जेवी/डब्लूओएस में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने की अनुमति है।

पात्रता मानदंड :

(क) न्यास

i) न्यास को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए;

ii) न्यास-विलेख विदेश में प्रस्तावित निवेश की अनुमति देता हो;

iii) प्रस्तावित निवेश का अनुमोदन न्यासी/न्यासियों द्वारा किया गया हो;

iv) एडी श्रेणी-। बैंक संतुष्ट हो कि न्यास केवाइसी (अपने ग्राहक को जानिये) कंप्लायंट है और वास्तविक कार्यकलाप में लगा है;

v) न्यास कम से कम तीन वर्षों की अवधि से अस्तित्व में हो;

vi) न्यास के विरुद्ध किसी विनियामक/प्रवर्तन एजेंसी, यथा, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आदि, द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी हो।

(ख) सोसाइटी

i) सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए;

ii) संस्था के बहिर्नियम और नियम एवं विनियम सोसाइटी को अनुमति देते हों कि वह प्रस्तावित निवेश करे, जिसका अनुमोदन शासीनिकाय/परिषद या प्रबंध/कार्यपालक समिति द्वारा किया जाये;

iii) एडी श्रेणी-। बैंक संतुष्ट हो कि सोसाइटी केवाइसी (अपने ग्राहक को जानिये) कंप्लायंट है और वास्तविक कार्यकलाप में लगी है;

iv) सोसाइटी कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में हो ;

v) सोसाइटी के विरुद्ध किसी विनियामक/प्रवर्तन एजेंसी, यथा, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि, द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी हो।

पंजीकरण के अतिरिक्त, एडी श्रेणी-। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि उक्त कार्यकलाप के लिए या तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से, जैसी भी स्थिति हो, विशेष लाइसेंस/अनुमति अपेक्षित है, तो आवेदक द्वारा विशेष लाइसेंस/अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

(3) फार्म ओडीआइ में एक आवेदन एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुम्बई-400 001 के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए । एडी श्रेणी-। बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि उपर्युक्त शर्तें पूरी की गयी हैं, आवेदन को अपनी टिप्पणी एवं अनुशंसाओं के साथ रिज़र्व बैंक के पास विचार किये जाने के लिए भेज सकते हैं ।

बी.11 विद्यमान जेवी/डब्लूओएस में निवेशोत्तर परिवर्तन/अतिरिक्त निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)

भारतीय पार्टी द्वारा विनियमों के अनुसार गठित कोई जेवी/डब्लूओएस अपने कार्यकलापों को विविधीकृत कर सकता है/स्टेप डाउन सब्सिडियरी गठित कर सकता है/विदेशी प्रतिष्ठान में अपने शेयरधारण के पैटर्न को बदल सकता है (वित्तीय सेवा क्षेत्र कंपनियों के मामले में उक्त अधिसूचना के विनियम 7 के अनुपालन के अधीन)। भारतीय पार्टी को ऐसे निर्णयों के ब्यौरे की रिपोर्ट एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से संबंधित जेवी/डब्लूओएस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन निर्णयों का अनुमोदन किये जाने के 30 दिनों के भीतर मेजबान देश के स्थानीय कानून के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास करनी चाहिए और उसे एडी श्रेणी-। बैंक के पास भेजे जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (फार्म ओडीआइ के एपीआर-भाग ।।) में सम्मिलित करना चाहिए।

बी.12 विदेशी प्रतिष्ठान के तुलनपत्र की पुनर्संरचना, जिसमें पूँजी और प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डालना शामिल हो

भारतीय कंपनियों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारतीय प्रवर्तक, जिन्होंने विदेश में डब्लूओएस स्थापित किया है या जिनका कम से कम 51 प्रतिशत हक विदेशी जेवी में है, जेवी/डब्लूओएस के संबंध में पूँजी (इक्विटी/अधिमानी शेयर) या अन्य प्राप्य राशियों, यथा, ऋण, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी फीस, को बट्टे खाते डाल सकते हैं, भले ही ऐसे जेवी/डब्लूओएस निम्नलिखित रूप में कार्य करते रहे हों:

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को अनुमति है कि वे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत जेवी/डब्लूओएस में किये गये निवेश का 25 प्रतिशत तक पूँजी और अन्य प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकती हैं; और

(ii) गैर सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमति है कि वे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जेवी/डब्लूओएस में किये गये इक्विटी निवेश के 25 प्रतिशत तक पूँजी और अन्य प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकती हैं।

बट्टे खाते डालने/पुनर्संरचना किये जाने की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को नामित एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से ऐसे बट्टे खाते डाले जाने/पुनर्संरचना किये जाने के 30 दिनों के भीतर की जानी है । बट्टे खाते डालना/पुनर्संरचना करना इस शर्त के अधीन है कि भारतीय पार्टी स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एडी श्रेणी-। बैंक को आवेदन के साथ संवीक्षा के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करे :

क तुलनपत्र की प्रमाणित प्रति, जिसमें भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित विदेशी डब्लूओएस/जेवी की हानि को दर्शाया गया हो; और

ख अगले पाँच वर्षों के लिए पूर्वानुमान, जिसमें उस लाभ का उल्लेख किया गया हो, जो इस प्रकार बट्टे खाते डाले जाने/पुनर्संरचना के फलस्वरूप भारतीय कंपनी को उपचित होने वाले हैं।

बी.13 बोली या निविदा क्रियाविधि के माध्यम से किसी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण

कोई भारतीय पार्टी बोली और निविदा क्रियाविधि के माध्यम से किसी विदेशी कंपनी के अधिग्रहण के लिए अग्रधन जमा राशि का प्रेषण कर सकती है अथवा बोली बांड गारंटी जारी कर सकती है और उक्त अधिसूचना के विनियम 14 के प्रावधानों के अनुसार एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से बाद में भी विप्रेषण कर सकती है।

बी.14 भारतीय पार्टी (आइपी) और आवासीय पार्टी (आरआई) की बाध्यताएँ[6]

[6] ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.61 दिनांक 13 अप्रैल 2016 द्वारा आशोधित।

(1) कोई भारतीय पार्टी (आइपी)/आवासीय पार्टी (आरआई), जिसने विदेश में प्रत्यक्ष निवेश किया हो, निम्नलिखित के लिए बाध्यताधीन है,

(i) रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के रूप में धन-प्रेषण करने की तिथि से या जिस तिथि को पूँजीकृत की जाने वाली राशि भारतीय पार्टी को देय हो या जिस तिथि को देय राशि को पूँजीकृत किये जाने की अनुमति दी जाये, उसके छह महीने के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति रिज़र्व बैंक दे, निवेश किये जाने के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करे;

(ii) विदेशी प्रतिष्ठान से प्राप्त होने वाली सभी बकाया राशि, यथा, लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी फीस, आदि, उसके देय होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति रिज़र्व बैंक दे, भारत को प्रत्यावर्तित करे; और

(iii) रिज़र्व बैंक के पास प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को या उसके पहले नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से भारत के बाहर प्रत्येक जेवी या डब्लूओएस के संबंध में फार्म ओडीआइ के भाग ।। में एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर), और अन्य रिपोर्टें या दस्तावेज प्रस्तुत करे, जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये । इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित एपीआर जेवी/डब्लूओएस के पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे पर आधारित हो, जब तक कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छूट नहीं दी गयी हो।

एडी श्रेणी-। बैंक को ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति पर निगरानी रखनी है और दस्तावेजों की वास्तविकता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लेना है। यह भी सूचित किया जाता है कि-

क. ऑनलाइन ओआइडी आवेदन को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, ताकि एडी बैंक का नोडल कार्यालय किसी आवेदक से संबंधित सभी एपीआर में बकाया स्थिति को देख सके, जिसमें वे जेवी/डब्लूओएस शामिल हैं, जिनके लिए वह नामित बैंक नहीं है । तदनुसार, एडी बैंक को पात्र आवेदक की ओर से ओडीआइ संबंधी लेन देन करने/सुविधा देने के पहले आवश्यक रूप से नोडल कार्यालय में जाँच कर लेनी चाहिए, जिससे इस बात की पुष्टि हो कि आवेदक के सभी जेवी/डब्लूओएस से संबंधित सभी एपीआर प्रस्तुत किये गये हैं;

ख. आवासीय व्यक्तियों के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक या सनदी लेखाकार द्वारा एपीआर को प्रमाणित किये जाने पर जोर नहीं दिया जाये और उसका स्व-प्रमाणन स्वीकार किया जाये;

ग. यदि अनेक आईपी/आरआई ने एक ही विदेशी जेवी/डब्लूओएस में निवेश किया है, तो एपीआर प्रस्तुत करने की बाध्यता उस आईपी/आरआई की होगी, जिसका अधिकतम हित जेवी/डब्लूओएस में हो । वैकल्पिक रूप से, विदेशी जेवी/डब्लूओएस में हित धारण करने वाले आईपी/आरआई परस्पर सहमति से एपीआर के प्रस्तुतीकरण की जिम्मेवारी किसी नामित प्रतिष्ठान को सौंप सकते हैं, जो एडी बैंक को युक्तियुक्त वचनपत्र देकर पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 15 के अनुसार एपीआर प्रस्तुत करने का दायित्व स्वीकार करे।

(2) तेल क्षेत्र में अनिगमित प्रतिष्ठानों में निवेश करने वालों के लिए भी रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ, जिनमें वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट शामिल है, लागू हैं।

(3) जहाँ मेजबान देश का कानून जेवी/डब्लूओएस की लेखाबहियों की लेखापरीक्षा को अनिवार्य नहीं बनाता हो, वहाँ भारतीय पार्टी द्वारा वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) जेवी/डब्लूओएस के लेखा परीक्षा नहीं किये गये वार्षिक लेखों के आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जा सकती है, बशर्ते कि :

क [7]भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षक यह प्रमाणित करें कि 'जेवी/ डब्लूओएस के मेजबान देश के कानून के अनुसार संबन्धित जेवी/डबल्यूओएस की लेखाबहियों लेखापरीक्षा करना अनिवार्य नहीं है, तथा एपीआर में दिये गए आंकड़ें संबन्धित जेवी/डब्लूओएस के अलेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर दिये गए हैं।

ख कि जेवी/ डब्लूओएस के अलेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को भारतीय पार्टी के बोर्ड द्वारा अंगीकार और अनुसमर्थन किया गया है।

ग [8]अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट के आधार पर एपीआर दाखिल करने से दी गई उपरोक्त छूट ऐसे देश/अधिकार क्षेत्र में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी, जो या तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की निगरानी में हैं या जिसके संबंध में FATF द्वारा अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है अथवा ऐसे अन्य देश / अधिकार क्षेत्र जिनके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है।

(4) विदेशी देयताओं और आस्तियों (एफएलए) के संबंध में एक वार्षिक विवरणी उन सभी भारतीय कंपनियों द्वारा, जिन्होंने चालू वर्ष सहित एफडीआइ प्राप्त की है और/या विदेश में एफडीआइ (अर्थात्, विदेश में निवेश) किया है, सीधे निदेशक, बाह्य देयता एवं आस्ति सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जानी है।

FLA के संबंध में वार्षिक विवरणी आरबीआई के वेबसाइट (www.rbi.org.in → Forms category → FEMA Forms) पर उपलब्ध है, जिसे विधिवत भरा जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है और प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक ई-मेल से भेजा जा सकता है।

बी.15 किसी जेवी/डब्लूओएस के शेयरों की बिक्री के जरिए अंतरण

(1) कोई भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य भारतीय पार्टी को, जो समय-समय पर यथासंशोधित फेमा अधिसूचना 120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 6 के प्रावधानों का अनुपालन करती है या भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को कोई शेयर या प्रतिभूति, जो यह भारत के बाहर किसी जेवी या डब्लूओएस में धारण करती है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विक्रय के जरिए अंतरण कर सकती है:

(i) इस विक्रय का परिणाम किये गये निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को बट्टे खाते डालना नहीं हो;

(ii) यह विक्रय किसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाये, जहाँ जेवी/डब्लूओएस के शेयर सूचीबद्ध हों;

(iii) यदि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हों और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया जाये, तो शेयर-मूल्य जेवी/डब्लूओएस के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित शेयरों के उचित मूल्य के रूप में सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा प्रमाणित मूल्य से कम नहीं हो;

(iv) भारतीय पार्टी को जेवी या डब्लूओएस से लाभांश, तकनीकी जानकारी फीस, रॉयल्टी, परामर्शी सेवा, कमीशन या अन्य हकदारी और/या निर्यात आय प्राप्त करना बाकी न हो;

(v) विदेशी संस्था कम से कम पूरे एक वर्ष तक परिचालन करती रही हो और उस वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खाते के साथ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत की गयी हो;

(vi) भारतीय पार्टी की जाँच सीबीआई/डीओई/सेबी/आइआरडीए या भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकारी द्वारा नहीं की जा रही हो ।

[7] दिनांक 14 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 369/2017-आरबी के द्वारा इसे अशोधित किया गया है।

[8] इसे 14 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 369/2017-आरबी के द्वारा जोड़ा गया है।

(2) भारतीय पार्टी को ऐसे विनिवेश के ब्यौरे विनिवेश के 30 दिनों के भीतर अपने नामित एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे।

बी.16 जेवी/डब्लूओएस के शेयरों के विक्रय के जरिए अंतरण, जिसमें निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को बट्टे खाते डालना शामिल हो

(1) भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्नलिखित किन्हीं मामलों में विनिवेश कर सकती है, जहाँ विनिवेश के बाद प्रत्यावर्तित राशि निवेश की गयी मूल राशि से कम हो:

i) उस मामले में, जहाँ जेवी/डब्लूओएस विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;

ii) उन मामलों में, जहाँ भारतीय पार्टी भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और उसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है;

iii) जहाँ भारतीय पार्टी असूचीगत कंपनी है और विदेशी उद्यम में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) 10 मिलियन युएसडी से अधिक नहीं है; और

iv) जहाँ भारतीय पार्टी एक सूचीबद्ध कंपनी है और उसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम है, लेकिन किसी विदेशी जेवी/डब्लूओएस में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) 10 मिलियन युएसडी से अधिक नहीं है।

(2) ऐसा विनिवेश बी.15 (1) मद (ii) से (vi) और बी.15 (2) में सूचीबद्ध शर्तों के अधीन होगा।

(3) किसी भारतीय पार्टी को, जो विदेश में अपने जेवी/डब्लूओएस में विनिवेश करने के लिए ऊपर अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करती है, रिज़र्व बैंक के पास पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

बी.17 संयुक्त उपक्रम (जेवी), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्लूओएस) और स्टेप डाउन सब्सिडियरी (एसडीएस) के शेयरों को गिरवी रखना

अधिसूचना के विनियम 18 और ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.54 दिनांक 29 दिसंबर 2014 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन कोई भारतीय पार्टी भारत के बाहर संयुक्त उपक्रम (जेवी) अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्लूओएस) अथवा स्टेप डाउन सब्सिडियरी (एसडीएस) के शेयरों पर, गिरवी के जरिए, ऋण-भार का सृजन भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या लोक वित्त संस्था या विदेशी ऋणदाता के पक्ष में जमानत के रूप में कर सकती है, ताकि वह अपने लिए (अर्थात्, भारतीय पार्टी) या अपने जेवी/डब्लूओएस/एसडीएस के लिए, जिनके शेयर गिरवी रखे गये हैं, या भारतीय पार्टी के किसी अन्य जेवी/डब्लूओएस/एसडीएस के लिए निधि आधारित सुविधा का उपभोग कर सके ।

बी.18 गारंटियों का रोल ओवर

(1) यह निर्णय लिया गया है कि किसी विद्यमान/मूल गारंटी, जो उक्त अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता का भाग है, के नवीकरण/रोल ओवर को नयी प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना/गिना जाये, बशर्ते कि :

क विद्यमान/मूल गारंटी उस समय वर्तमान/प्रचलित फेमा दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की गयी थी;

ख गारंटी के अंतिम उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात्, जेवी/डब्लूओएस/स्टेप डाउन सब्सिडियरी द्वारा उपभोग की गयी सुविधाएँ;

ग किसी भी शर्त में कोई परिवर्तन न हो, जिसमें गारंटी की राशि शामिल है, सिवाय वैधता अवधि के;

घ रोल ओवर गारंटी की रिपोर्टिंग नयी वित्तीय प्रतिबद्धता के रूप में अब तक की तरह फार्म ओडीआइ के भाग । में की जायेगी; और

ङ यदि भारतीय पार्टी किसी अन्वेषण/प्रवर्तन एजेंसी या विनियामक निकाय की जाँच के अंतर्गत हो, तो संबंधित एजेंसी/निकाय को उसके बारे में अवगत रखा जायेगा ।

(2) तथापि, यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं हों, तो भारतीय पार्टी नामित एडी बैंक के माध्यम से विद्यमान गारंटी के रोल ओवर/नवीकरण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी ।

बी.19 देशी और विदेशी आस्तियों पर ऋण-भार सृजन करना

(1) कोई भारतीय पार्टी अपने संयुक्त उपक्रम (जेवी) या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्लूओएस) या स्टेप डाउन सब्सिडियरी (एसडीएस) के लिए निधि आधारित और/या गैर निधि आधारित सुविधा का उपभोग करने के लिए अधिसूचना के विनियम 18ए और एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.54 दिनांक 29 दिसंबर 2014 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन किसी विदेशी ऋणदाता के पक्ष में जमानत के रूप में अपनी आस्तियों [जिसमें भारत में इसकी समूह कंपनी, सहयोगी संस्था या एसोशिएट कंपनी, प्रवर्तक और/या निदेशक की आस्तियाँ शामिल हैं] पर ऋण-भार का सृजन (बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक या अन्य प्रकार से) कर सकती हैं।

(2) कोई भारतीय पार्टी अपने लिए या भारत से बाहर अपने जेवी या डब्लूओएस या एसडीएस के लिए निधि आधारित और/या गैर निधि आधारित सुविधा का उपभोग करने के लिए अधिसूचना के विनियम 18ए और एपी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.54 दिनांक 29 दिसंबर 2014 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन भारत में किसी एडी बैंक के पक्ष में जमानत के रूप में अपने विदेशी जेवी या डब्लूओएस या एसडीएस की आस्तियों पर ऋण-भार का सृजन (बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक या अन्य प्रकार से) कर सकती है।

बी.20 निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

दिनांक 5 अगस्त 2013 से कोई निवासी व्यक्ति (एकल या अन्य निवासी व्यक्ति के साथ मिल कर या किसी "भारतीय पार्टी " के साथ, जैसाकि अधिसूचना में परिभाषित है), जो अधिसूचना की अनुसूची V के अनुसार मानदंडों को पूरा करता हो, भारत के बाहर किसी संयुक्त उपक्रम (जेवी) या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्लूओएस) के इक्विटी शेयरों और अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकता है । निवासी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा उदारीकृत धन-प्रेषण योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगी, जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

बी. 21 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग

(1) निवासी प्रतिष्ठान, जिनके पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) हो, उन्हें अनुमति है कि वे इस प्रकार के निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) से उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर जोखिम को हेज करें। एडी श्रेणी-। बैंक वैसे निवासी प्रतिष्ठानों के साथ, जो अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (इक्विटी और ऋण में) को हेज करना चाहते हैं, ऐसे एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन वायदा/ऑप्शन संविदा कर सकते हैं।

(2) यदि कोई हेज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) का बाजार मूल्य कम हो जाने के चलते अंशतः या पूर्णतः बेजमानती हो जाता है, तो वह हेज मूल परिपक्वता अवधि तक जारी रह सकता है। नियत तिथि को रोल ओवर की अनुमति उस तिथि को बाजार मूल्य की सीमा तक अनुमत है।

बी. 22 किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलना

दिनांक 21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. 10(आर)/2015-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध {भारत में निवासी व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा खाते} विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कोई भारतीय पार्टी समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजन से विदेश में विदेशी मुद्रा खाता (FCA) निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत खोल सकती है, धारण कर सकती है और बनाए रख सकती है:

(i) भारतीय पार्टी विदेशी समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के अनुसार समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हो।

(ii) मेजबान देश के विनियम यह विनिर्दिष्ट करते हों कि ऐसे देश में किया जाने वाला निवेश नामित खाते के जरिए किया जाए।

(iii) मेजबान देश के विनियमों के अनुसार खाता खोला जाएगा, धारित किया जाएगा और रखा जाएगा।

(iv) भारतीय पार्टी द्वारा ऐसे खाते में प्रेषित विप्रेषणों का उपयोग समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए ही होगा।

(v) उक्त खाते में सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश और/अथवा अन्य हकदारीगत राशि खाते में जमा होने से 30 दिनों के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(vi) भारतीय पार्टी उक्त खाते से किए गए नामे और जमा के ब्योरे वार्षिक आधार पर नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को सांविधिक लेखा-परीक्षक के इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगी जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि खाते का रख-रखाव मेजबान देश के क़ानूनों और यथा लागू मौजूदा फेमा विनियमों/उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(vii) इस प्रकार खोले गए खाते को संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से विनिवेश अथवा उसके बंद होते ही अथवा ऐसा होने से 30 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा।

खंड सी – विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

सी.1 कतिपय मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों के क्रय/अभिग्रहण किये जाने की अनुमति

(1) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि हो, निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है–

क भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति से उपहार के रूप में विदेशी प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना;

ख भारत के बाहर किसी कंपनी द्वारा नकदी रहित इम्प्लाइज ऑप्शन प्रोग्राम (इएसओपी) के अंतर्गत जारी किये गये शेयर प्राप्त करना, बशर्ते कि इसमें भारत से किसी प्रकार का धन-प्रेषण किया जाना शामिल न हो;

ग किसी ऐसे व्यक्ति से, जो भारत का या भारत के बाहर का निवासी हो, विरासत के जरिए शेयर प्राप्त करना;

घ किसी विदेशी कंपनी द्वारा इसकी अपनी इएसओपी योजना के अंतर्गत दिये गये इक्विटी शेयर अर्जित करना, यदि वह विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय या शाखा का या विदेशी कंपनी की भारत में सब्सिडियरी का, या, किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी, या, निदेशक हो, जिसमें विदेशी इक्विटी धारण, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी होल्डिंग कंपनी/विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के माध्यम से किया जाये, भले ही भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष इक्विटी स्टेक का प्रतिशत कुछ भी हो । एडी श्रेणी-। बैंकों को अनुमति है कि वे इस प्रावधान के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों द्वारा शेयरों की खरीद किये जाने के लिए धन-प्रेषण की अनुमति दें, भले ही योजना के परिचालन का तरीका कोई भी हो, अर्थात्, जहां योजना के अंतर्गत शेयर जारीकर्ता कंपनी द्वारा सीधे दिये जाते हैं या परोक्ष रूप से किसी न्यास/विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी)/स्टेप डाउन सब्सिडियरी द्वारा दिये जाते हैं, बशर्ते कि (i) जारीकर्ता कंपनी द्वारा इएसओपी योजना के अंतर्गत शेयर वैश्विक रूप से एकसमान आधार पर दिये जायें, और (ii) भारतीय कंपनी द्वारा एक वार्षिक विवरणी एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत की जाये, जिसमें धन-प्रेषणों/हिताधिकारियों, आदि के ब्यौरे दिये गये हों।

(2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति ऊपर वर्णित रीति से अर्जित शेयरों को विक्रय के जरिए अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि उससे प्राप्त आय के प्राप्त होने पर उसे अविलंब या किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय की तिथि से अधिक से अधिक 90 दिनों के भीतर प्रत्यावर्तित की जाये।

(3) विदेशी कंपनियों को अनुमति है कि वे भारत में निवासी व्यक्तियों को इएसओपी योजना के अंतर्गत जारी किये गये शेयरों का पुनः क्रय कर सकती हैं, बशर्ते (i) शेयर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के अनुसार जारी किये गये थे, (ii) शेयरों का पुनः क्रय प्रारंभिक ऑफर दस्तावेज के अनुसार किया जा रहा है, और (iii) एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाये, जिसमें धन-प्रेषणों/हिताधिकारियों, आदि के ब्यौरे दिये गये हों।

(4) अन्य सभी मामलों में, जो सामान्य या विशेष अनुमति के अंतर्गत शामिल नहीं किये गये हैं, विदेशी प्रतिभूति अर्जित करने के पहले रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा ।

सी.2 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना

भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसार अर्जित शेयरों को भारत में एडी श्रेणी-। बैंक/लोक वित्त संस्था से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी रखे जाने की अनुमति है।

सी.3 कतिपय मामलों में सामान्य अनुमति

निवासियों को विदेशी प्रतिभूति अर्जित करने की अनुमति है, यदि वह निम्नलिखित का द्योतक हो –

क भारत के बाहर किसी कंपनी का निदेशक बनने के लिए उस सीमा तक अर्हता शेयर, जो मेजबान देश, जहाँ कंपनी अवस्थित हो, के कानून के अनुसार निर्धारित हो, बशर्ते कि यह अभिग्रहण के समय प्रवृत्त उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न हो;

ख विदेशी कंपनी को दी गयी व्यावसायिक सेवाओं या निदेशक के पारिश्रमिक के बदले आंशिक/पूर्ण प्रतिफल । मूल्य के रूप में ऐसे शेयरों को अर्जित करने की सीमा निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा तक, जो अभिग्रहण के समय प्रवृत्त हो, सीमित है;

ग अधिकार शेयर, बशर्ते कि अधिकार शेयर होल्डिंग शेयरों के आधार पर तत्समय प्रवृत्त कानून के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हों;

घ विदेश में भारतीय प्रवर्तक कंपनी के किसी जेवी/डब्लूओएस के शेयरों की भारतीय प्रवर्तक कंपनी, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर रही है, के कर्मचारियों/निदेशकों द्वारा खरीद, जहाँ खरीद के लिए प्रतिफल रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक न हो; इस प्रकार अर्जित शेयर भारत के बाहर जेवी/डब्लूएएस की चुकता पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो; और ऐसे शेयरों के आवंटन के बाद, भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत, उसके कर्मचारियों को आवंटित शेयरों के साथ, ऐसे आवंटन के पूर्व भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों के प्रतिशत से कम न हो; और

ङ ज्ञान आधारित क्षेत्रों में कोई भारतीय कंपनी अपने निवासी कर्मचारियों (जिसमें कार्यकारी निदेशक शामिल हैं) को एडीआर/जीडीआर सहबद्ध स्टॉक ऑप्शन योजनाओं के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियाँ खरीदने की अनुमति दे सकती है। किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन जारी किया जाना सेबी (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन एवं स्टॉक क्रय योजना) दिशा-निर्देश, 1999 से नियंत्रित होगा और किसी असूचीगत कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन जारी किया जाना भारत सरकार द्वारा एडीआर/जीडीआर सहबद्ध स्टॉक ऑप्शन जारी किये जाने के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों से नियंत्रित

होगा । क्रय का प्रतिफल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुबद्ध सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

सी.4 किसी निवासी बैंक द्वारा स्विफ्ट के शेयरों का अर्जन

भारत में कोई बैंक, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया हो, स्विफ्ट की उप-विधियों के अनुसार विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूर संचार समिति (स्विफ्ट) के शेयर प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि बैंक को स्विफ्ट्स युजर ग्रुप इन इंडिया ' के सदस्य के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी हो।

सी.5 इंडियन डिपॉजिटरी रसीद (IDR) जारी किया जाना

भारत के बाहर निवासी पात्र कंपनियाँ किसी देशी डिपॉजिटरी के माध्यम से इंडियन डिपॉजिटरी रसीद जारी कर सकती हैं। यह अनुमति कंपनीज (इश्यु ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स) नियम, 2004 और उसमें किये गये परवर्ती संशोधनों का और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी(डीआइपी) दिशा-निर्देश, 2000 का अनुपालन किये जाने के अधीन दी गयी है। ऐसी वित्तीय/बैंकिंग कंपनियों द्वारा, जिनका अस्तित्व भारत में है, आइडीआर के निर्गमन के माध्यम से निधियाँ जुटाने के मामले में, चाहे वह किसी शाखा या सब्सिडियरी के माध्यम से हो, आइडीआर जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय विनियामक(कों) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

सी.6 डेरिवेटिव खंड में लेन देनों के लिए एफआइआइ द्वारा संपार्श्विक का अनुरक्षण – क्लियरिंग कारपोरेशन और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा डिमैट खाते खोलना

स्टॉक एक्सचेंजों के क्लियरिंग कारपोरेशन, जो सेबी द्वारा अनुमोदित हों और उनके क्लियरिंग सदस्य सेबी द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लेन देन कर सकते हैं:

i) विदेशी डिपॉजिटरीज में डिमैट खाते खोलना और बनाये रखना और एफआइआइ द्वारा संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को अर्जित करना, धारण करना, गिरवी रखना और अंतरित करना;

ii) ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कारपोरेट कार्रवाई, यदि हो, के चलते प्राप्त होने वाली राशि को प्रेषित करना; और

iii) ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त करना, यदि आवश्यकता हो ।

क्लियरिंग कारपोरेशन, मासिक आधार पर, उनके द्वारा अपने क्लियरिंग सदस्यों के नकदीतर संपार्श्विक के रूप में धारित विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों की जमाराशियों की रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई को करेंगे। रिपोर्ट जिस माह से संबंधित हो, उसके अगले माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भाग-।।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनगत अनुदेश

1. नामित शाखाएँ

कोई भारतीय पार्टी, जो भारत के बाहर किसी संयुक्त उपक्रम (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओँ (डब्लूओएस) में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करती है, उसे निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के संबंध में सभी लेन देन किसी एडी श्रेणी-। बैंक की एक शाखा के माध्यम से करना होगा, जिसे उसने पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 6 के उप विनियम 2 के खंड (v) के अनुसार नामित किया हो । भारतीय पार्टी द्वारा रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले सभी पत्र, जो भारत के बाहर निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता से संबंधित हों, एडी श्रेणी-। बैंक की उसी शाखा के माध्यम से भेजे जायेंगे, जिसे निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के लिए भारतीय निवेशक द्वारा नामित किया गया है । नामित एडी श्रेणी-। बैंक अपने ग्राहकों का पत्र रिज़र्व बैंक

को भेजते समय अनुरोध पत्र पर अपनी टिप्पणियाँ/अनुशंसाएँ भी भेजेंगे । तथापि, भारतीय पार्टी भारत के बाहर भिन्न-भिन्न जेवी/डब्लूओएस के लिए अलग-अलग एडी श्रेणी-। बैंक/एडी श्रेणी-। बैंक की शाखाओं को नामित कर सकती है । समुचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एडी श्रेणी-। बैंक को प्रत्येक जेवी/डब्लूएएस के संबंध में पार्टीवार रिकार्ड रखना होगा।

2. अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 6 के अंतर्गत निवेश

एडी श्रेणी-। बैंक भारतीय पार्टी से विदेश में किसी जेवी/डब्लूओएस में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने के लिए फार्म ओडीआइ में आवेदन के साथ विधिवत भरा हुआ फार्म ए-2 प्राप्त होने पर अनुमत सीमा तक निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि वे समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 6 में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हों । वित्तीय सेवाओं में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के लिए भी समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 7 में अनुबद्ध मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए । वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय एडी श्रेणी-। बैंक यह प्रमाणित करेंगे कि भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकारियों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विप्रेषण (या वित्तीय प्रतिबद्धता) की अनुमति देने के पूर्व एडी श्रेणी-। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फार्म ओडीआइ में यथा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हें ठीक पाया गया है।

स्पष्टीकरण: प्राधिकृत व्यापारी बैंक कृपया ध्यान दें कि उनके ग्रहकों /घटकों द्वारा किए गए निवेश/वित्तीय प्रतिबद्धताओं की रिपोर्ट ओआईडी आवेदन प्रणाली में करने के लिए उन्हें आरबीआई द्वारा 15 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा (पहले प्रेषण को छोड़ कर जिसे निष्पादित करने से पहले ओडीआई प्रणाली में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, ताकि यूआईएन उत्पन्न किया जा सके) उपलब्ध कराई जाती है और इस अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ भारतीय पार्टियों / भारतीय निवासियों द्वारा एडी बैंक को फॉर्म व दस्तावेज जमा करने के लिए उठाया न जाए।

3. क्रियाविधि संबंधी सामान्य अनुदेश

(1) विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली संशोधित की गयी है और उसे **एफइडी मास्टर निदेश सं.18/2015-16 दिनांक 1 जनवरी 2016 में समाविष्ट किया गया है**

(2) दिनांक 2 मार्च 2010 से ओडीआइ फार्मों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को चरणबद्ध रूप से परिचालन में लाया गया है । इस प्रणाली में विशिष्ट पहचान संख्या (युआइएन) के ऑनलाइन सृजन, विप्रेषण/णों (या वित्तीय प्रतिबद्धता) की प्राप्ति-स्वीकृति, वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों, विनिवेश रिपोर्ट का भरा जाना और निर्देश संबंधी प्रयोजनों के लिए एडी के स्तर पर आँकड़ों तक पहुँच को सक्षम बनाया जाता है।

ऑनलाइन रिपोर्टिंग एडी श्रेणी-। बैंकों की केंद्रीकृत इकाई/नोडल कार्यालय द्वारा की जानी होगी। विदेशी निवेश आवेदन रिज़र्व बैंक के वेबसाइट `https://oid.rbi.org.in` पर दिया गया है और आवेदन ढूँढ़ने के लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन रीपोर्ट की गयी जानकारी की प्रामाणिकता की जिम्मेवारी एडी श्रेणी-। बैंकों की होगी।

क अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के लिए अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आवेदन रिज़र्व बैंक के पास भौतिक रूप से अब तक की तरह प्रस्तुत किया जाता रहेगा, जो ऊपर अपेक्षित भाग । की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अतिरिक्त होगा।

ख ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.29 दिनांक 27 मार्च 2006/ ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.73 दिनांक 29 जून 2011 के अनुसार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जेवी/डब्लूओएस के बंद किये जाने/समापन/स्वैच्छिक परिसमापन/विलय/समामेलन के मामले में फार्म ओडीआइ के भाग ।।। में एक रिपोर्ट नामित एडी श्रेणी-। बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के पास ऑनलाइन आवेदन में की जाती रहनी

चाहिए। विनिवेश के अन्य सभी मामलों में, एक आवेदन आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ग नयी रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार एडी श्रेणी-। बैंक ऑनलाइन युआइएन तैयार कर सकेंगे। तथापि, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत परवर्ती विप्रेषण (या वित्तीय प्रतिबद्धता) और अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विप्रेषण (या वित्तीय प्रतिबद्धता) किये जाने चाहिए और उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट आरबीआई से युआइएन की पुष्टि करने वाला ऑटो जेनरेटेड ई-मेल प्राप्त होने पर ही की जानी चाहिए।

3. उन मामलों में, जहाँ निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) एक से अधिक पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, वहाँ रिज़र्व बैंक विदेशी जेवी/डब्लूओएस को केवल एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा।

4. एडी श्रेणी-। बैंक जेवी/डब्लूओएस को ऋण के लिए विप्रेषण करने और/या विदेश-स्थित जेवी/डब्लूओएस को/उनकी ओर से गारंटी निर्गत करने की अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद ही दें कि भारतीय पार्टी का जेवी/डब्लूओएस में इक्विटी स्टेक है । तथापि, जहाँ कहीं मेजबान देश के कानून भारतीय पार्टी द्वारा इक्विटी सहभागिता किये बिना किसी कंपनी के निगमन की अनुमति देते हों, वहाँ एडी बैंक विदेशी जेवी/डब्लूओएस को ऋण के लिए विप्रेषण करने/उनकी ओर से गारंटी निर्गत करने की अनुमति देने के पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

4. अधिसूचना सं.फेमा 120/2004-आरबी दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम-11 के अंतर्गत निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)

अधिसूचना के विनियंम-11 के अनुसार, भारतीय पार्टियों को विदेश में जेवी/डब्लूओएस में सीधे निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) निर्यातों के पूँजीकरण या अन्य प्राप्य राशियों/हकदारी, यथा, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी फीस, परामर्श फीस, आदि, के जरिए करने की अनुमति है। ऐसे मामलों में भी, भारतीय पार्टी को पूँजीकरण के ब्यौरे फार्म ओडीआइ में एडी श्रेणी-। बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत करना होगा। पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा की गणना करते समय पूँजीकरण के जरिए किये गये ऐसे निवेशों (या वित्तीय प्रतिबद्धता) को भी गिना जायेगा। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में, जहाँ निर्यात-प्राप्तियों का पूँजीकरण विनियम 11 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा हो, वहाँ एडी श्रेणी-। बैंकों को विनियम 12 (2) के अंतर्गत अपेक्षित बीजक की सीमाशुल्क प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी और उसे संशोधित फार्म ओडीआइ के साथ रिज़र्व बैंक को भेजना होगा। निर्यात-प्राप्तियों का पूँजीकरण या अतिदेय अन्य हकदारियों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा, जिसके लिए भारतीय पार्टी को फार्म ओडीआइ में एक आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विचार किये जाने के लिए प्रस्तुत करना होगा।

5. विशिष्ट पहचान संख्या (यूआइएन) का आवंटन

विदेश के प्रत्येक जेवी या डब्लूओएस को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या को रिज़र्व बैंक के साथ किये जाने वाले सभी पत्राचार में उद्धृत किया जाना चाहिए। एडी श्रेणी-। बैंक किसी भारतीय पार्टी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम 6 के अनुसार स्थापित किसी विद्यमान विदेशी संस्था में अतिरिक्त निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) करने की अनुमति तभी दे सकता है, जब रिज़र्व बैंक ने विदेशी परियोजना को आवश्यक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित कर दी हो।

6. शेयर अदला-बदली के जरिए निवेश

शेयर अदला-बदली के जरिए निवेश के मामले में एडी श्रेणी-। बैंक को अतिरिक्त रूप से रिज़र्व बैंक के पास लेन देनों, यथा, प्राप्त/आवंटित शेयरों की संख्या, चुकाया गया/प्राप्त प्रीमियम, चुकायी गयी/प्राप्त

दलाली के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे और यह पुष्टि भी करनी होगी कि लेन देन का आवक चरण एफआइपीबी द्वारा अनुमोदित है (यदि अपेक्षित हो) और इसका मूल्य-निर्धारण अधिकथित क्रियाविधि के अनुसार किया गया है और कि विदेशी कंपनी के शेयर भारतीय निवेशकर्ता कंपनी के नाम जारी/अंतरित किये जाते हैं । एडी श्रेणी-। बैंक आवेदकों से इस आशय का एक वचन-पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं कि भारतीय कंपनी में अनिवासियों द्वारा इस प्रकार अर्जित शेयरों का भविष्य में विक्रय/अंतरण समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

7. अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी दिनांक 7 जुलाई 2004 के विनियम-9 के अंतर्गत निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता)

विनियम 9 के अनुसार कतिपय मामलों में जेवी/डब्लूओएस में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । एडी श्रेणी-। बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये इन विशिष्ट अनुमोदनों के अंतर्गत धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं और उसकी रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुम्बई 400 001 को फार्म ओडीआइ में कर सकते हैं।

8. एडीआर/जीडीआर सहबद्ध स्टॉक ऑप्शन योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद

एडी श्रेणी-। बैंक ज्ञान आधारित क्षेत्र में एडीआर/जीडीआर सहबद्ध इएसओपी के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियाँ उस सीमा तक खरीदने के लिए, जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुबद्ध की जाये, इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि जारीकर्ता कंपनी ने सेबी/सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन किया है, धन-प्रेषण कर सकते हैं।

9. अग्रधन जमाराशि या बोली बांड गारंटी के लिए धन-प्रेषण

(i) अधिसूचना के विनियम 14 के अनुसार, एडी श्रेणी-। बैंक किसी भारतीय पार्टी द्वारा, जो पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 6 के अंतर्गत निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के लिए पात्र हैं, संपर्क किये जाने पर अग्रधन जमाराशि (इएमडी) के लिए पात्र सीमा तक धन-प्रेषण की अनुमति, विधिवत भरा हुआ फार्म ए2 प्राप्त करने के बाद दे सकते हैं या भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने या निविदा क्रियाविधि में भाग लेने के लिए उनकी ओर से बोली बांड गारंटी जारी कर सकते हैं । बोली में सफलता प्राप्त करने पर एडी श्रेणी-। बैंक, विधिवत भरा हुआ फार्म ए2 प्राप्त करने के बाद अधिग्रहण मूल्य प्रेषित कर सकते हैं और इस प्रकार के धन-प्रेषण (जिसमें इएमडी के लिए भेजी गयी आरंभिक राशि शामिल है) की रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुम्बई 400 001 को कर सकते हैं। इएमडी के लिए धन-प्रेषण की अनुमति देते समय एडी श्रेणी-। बैंक को भारतीय पार्टी को सलाह देनी चाहिए कि यदि वे बोली में सफल नहीं हुए, तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेषित राशि को समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2015 (तुलनीय : अधिसूचना सं.फेमा 9(आर)/2015-आरबी दिनांक 29 दिसंबर 2015), के अनुसार प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(ii) उन मामलों में, जहाँ भारतीय पार्टी बोली/निविदा में सफल होने के बाद यह निश्चय करे कि वह आगे निवेश नहीं करेगी, एडी बैंक को इएमडी के लिए अनुमत धन-प्रेषण/लागू की गयी बोली बांड गारंटी के पूरे ब्यौरे मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुम्बई 400 001 के पास प्रस्तुत करने चाहिए।

(iii) यदि भारतीय पार्टी बोली में सफल हुई है, लेकिन भारत के बाहर किसी कंपनी के अधिग्रहण की शर्तें भाग । में उल्लिखित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं या उन शर्तों से भिन्न हैं, जिनके लिए

उप विनियम (3) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त किया गया था, तो भारतीय पार्टी को फार्म ओडीआइ प्रस्तुत करते हुए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

10. भारत के बाहर किसी जेवी/डब्लूओएस के शेयरों का विक्रय के जरिए अंतरण

भारतीय पार्टी को ऑनलाइन ओआइडी आवेदन में विनिवेश के ब्यौरे एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से विनिवेश के 30 दिनों के भीतर फार्म ओडीआइ के भाग ।।। में देनी चाहिए, जैसाकि ऊपर पैरा 3(3)(घ) में बताया गया है । शेयरों/प्रतिभूतियों के विक्रय से हुई आय प्राप्त होने पर अविलंब और किसी भी स्थिति में शेयरों/प्रतिभूतियों के विक्रय की तिथि से अधिक से अधिक 90 दिनों के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित की जायेगी।

11. निवेश के साक्ष्य का सत्यापन

निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज, जहाँ शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जाते हों, आगे से नामित ए श्रेणी-। बेंक को प्रस्तुत किये जायेंगे और उसके द्वारा रखे जायेंगे, और उसे ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति पर निगरानी रखनी होगी और स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार प्राप्त हुए दस्तावेज वास्तविक हैं।

12. किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में विदेशी खाता खोला जाना

जहाँ कहीं, मेजबान देश के विनियमों में अनुबद्ध हो कि उस देश में निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) किसी नामित खाता के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है, वहाँ भारतीय पार्टी को अनुमति है कि वह ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.101 दिनांक 02 अप्रैल 2012 के अंतर्गत अनुबद्ध कतिपय शर्तों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (या वित्तीय प्रतिबद्धता) के प्रयोजनार्थ विदेश में विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोल सकती है, रख सकती है और अनुरक्षण कर सकती है।

परिशिष्ट

विदेश में संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में समेकित अधिसूचनाओं/परिपत्रों की सूची अधिसूचनाएँ।

(भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में विभिन्न तिथियों को प्रकाशित)

1.	अधिसूचना सं.फेमा 120/2004-आरबी	7 जुलाई 2004
2.	अधिसूचना सं.फेमा 132/2005-आरबी	31 मार्च 2005
3.	अधिसूचना सं.फेमा 135/2005-आरबी	17 मई 2005
4.	अधिसूचना सं.फेमा 150/2006-आरबी	21 अगस्त 2006
5.	अधिसूचना सं.फेमा 164/2007-आरबी	9 अक्तूबर 2007
6.	अधिसूचना सं.फेमा 173/2007-आरबी	19 दिसंबर 2007
7.	अधिसूचना सं.फेमा 180/2008-आरबी	5 सितंबर 2008
8.	अधिसूचना सं.फेमा 181/2008-आरबी	1 अक्तूबर 2008
9.	अधिसूचना सं.फेमा 184/2009-आरबी	20 जनवरी 2009
10.	अधिसूचना सं.फेमा 188/2009-आरबी	3 फरवरी 2009
11.	अधिसूचना सं.फेमा 196/2009-आरबी	28 जुलाई 2009
12.	अधिसूचना सं.फेमा 225/2012-आरबी	7 मार्च 2012
13.	अधिसूचना सं.फेमा 231/2012-आरबी	30 मई 2012
14.	अधिसूचना सं.फेमा 249/2012-आरबी	22 नवंबर 2012
15.	अधिसूचना सं.फेमा 263/2013-आरबी	5 मार्च 2013
16.	अधिसूचना सं.फेमा 277/2013-आरबी	8 मई 2013
17.	अधिसूचना सं.फेमा 283/2013-आरबी	14 अगस्त 2013
18.	अधिसूचना सं.फेमा 299/2014-आरबी	24 मार्च 2014
19.	अधिसूचना सं.फेमा 314/2014-आरबी	3 जुलाई 2014
20.	अधिसूचना सं.फेमा 326/2014-आरबी	12 नवंबर 2014
21.	अधिसूचना सं.फेमा 322/2014-आरबी	14 अक्तूबर 2014
22.	अधिसूचना सं.फेमा 325/2014-आरबी	12 नवंबर 2014
23.	अधिसूचना सं.फेमा 326/2014-आरबी	12 नवंबर 2014
24.	अधिसूचना सं.फेमा 362/2016-आरबी	15 फरवरी 2016
25.	अधिसूचना सं.फेमा 382/2016-आरबी	02 जनवरी 2017

ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र की संदर्भ सूची

1.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.32	9 फरवरी 2005
2.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.42	12 मई 2005
3.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.14	1 अक्तूबर 2004
4.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.9	29 अगस्त 2005
5.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.24	25 जनवरी 2006
6.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.29	27 मार्च 2006
7.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.30	5 अप्रैल 2006
8.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.3	26 जुलाई 2006
9.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.6	6 सितंबर 2006
10.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.41	20 अप्रैल 2007
11.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.49	30 अप्रैल 2007
12.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.50	4 मई 2007
13.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.59	18 मई 2007
14.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.68	1 जून 2007
15.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.72	8 जून 2007
16.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.75	14 जून 2007
17.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.2	19 जुलाई 2007
18.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.11	26 सितंबर 2007
19.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.12	26 सितंबर 2007
20.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.34	3 अप्रैल 2008
21.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.48	3 जून 2008
22.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.53	27 जून 2008
23.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.7	13 अगस्त 2008
24.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.14	5 सितंबर 2008
25.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.5	22 जुलाई 2009
26.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.36	24 फरवरी 2010
27.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.45	1 अप्रैल 2010
28.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.69	27 मई 2011
29.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.73	29 जून 2011
30.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.96	28 मार्च 2012
31.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.97	28 मार्च 2012
32.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.101	2 अप्रैल 2012
33.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.131	31 मई 2012
34.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.133	20 जून 2012
35.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.15	21 अगस्त 2012
36.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.25	7 सितंबर 2012
37.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.29	12 सितंबर 2012

38.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.99	23 अप्रैल 2013
39.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.100	25 अप्रैल 2013
40.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.8	11 जुलाई 2013
41.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.23	14 अगस्त 2013
42.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.24	14 अगस्त 2013
43.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.41	10 सितंबर 2013
44.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.83	3 जनवरी 2014
45.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.131	19 मई 2014
46.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.1	3 जुलाई 2014
47.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.48	9 दिसंबर 2014
48.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.54	29 दिसंबर 2014
49.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.59	22 जनवरी 2015
50.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.61	13 अप्रैल 2016
51.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.62	13 अप्रैल 2016
52.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.6	20 अक्तूबर 2016
53.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.28	25 जनवरी 2017
54.	ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 04	12 मई 2021